(13)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

प्रकरण क्रमांक -रिव्यू- 562-तीन/14

रिव्यू 562-तीन/14

..आशिष त्रिपाठी.. एड
द्वारा आज दिनांक 25-01-14 को
प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

1- चन्द्रमणि प्रसाद त्रिपाठी तनय स्व0 बृजकिशोर त्रिपाठी,

2- बेवा रजमन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री बृजकिशोर त्रिपाठी,

दोनों निवासी ग्राम सुरसा खुर्द, तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

--------आवेदक/रिव्यूकर्तागण।

बनाम

1. नंद कुमार पिता राममनोहर तिवारी, निवासी ग्राम सुरसा खुर्द, तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0 -----अनावेदक/

पुनर्विलोकन विरुद्ध आदेश दिनांक 20.11.2013

प्रकरण क्र.-आर-3079-दो/2012

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई.

क्रमांक 460
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक .... को प्राप्त
...-14

चन्द्रमणि / नन्दकुमार
निग. 562-III/14 रीवा

उक्त से स्पष्ट है कि मामले का निराकरण प्रकरण में आये गुणदोषों (मेरिट) पर किया गया है। आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कानुसार यदि पुनरावलोकन आवेदन के तथ्यों पर विचार किया जाये, प्रकरण को पुर्नस्थापित करने हेतु तीन में से किसी एक आधार का होना आवश्यक है –

1. नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना
2. अभिलेख से ही प्रकट भूल या गलती
3. अन्य कोई पर्याप्त कारण

किन्तु आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके, आदेश दिनांक 20–11–2013 के पुनर्विलोकन हेतु उपरोक्त में पुष्ट आधार कौनसा रहा है जिसके पुनरावलोकन दर्ज कर सुनवाई की जा सके, जबकि आदेश दिनांक 20.11.13 से निगरानी प्रकरण कमांक 3079/II/2012 का निराकरण मेरिट पर किया गया है।

4/ उपरोक्त कारणों से पुनरावलोकन आवेदन आधारहीन होने से अमान्य किया जाता है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(हस्ताक्षर)
सदस्य